छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.722 /F-2013-04-00386/ब-4/चार, नया रायपुर, दिनांक 01/08/2013

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   छत्तीसगढ़ शासन,
   मंत्रालय, नया रायपुर ।

विषय :- सामान्य भविष्य निधि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर के अर्द्धशासकीय पत्र कमांक/F.M./K.R.A./263 दिनांक 26.06.2013 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है । कृपया पत्र में उल्लेखित दिशा-निर्देश के संबंध में की गई कार्यवाही से वित्त विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

3/7/13

(सी.जे. खत्री)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

पृ. क्र. 723 /F-2013-04-00386/ब-4/चार, नया रायपुर, दिनांक 01/08/2013

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन/अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज/ स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर ।
2. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, मंत्रालय, नया रायपुर/ संस्थागत वित्त, रायपुर ।
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, रायपुर ।
4. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, नियम शाखा, मंत्रालय, नया रायपुर ।

3/7/13

(ऋषभ पाराशर)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग

desktop/kalyani/latter

D.O. Letter No. /F.M./K.R.A./263

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

सत्यमेव जयते

एन.एस. पिल्लै
महालेखाकार
N.S. PILLAI, IA & AS
Accountant General

दिनांक : 26.6.13
Date :

Dear Shri Viswakarma

I would like to bring your kind attention that this office has uploaded a brochure on GPF guidelines in our website (www.ag36g.cag.gov.in) and a copy of the same is enclosed here with for your ready reference.

I would be thankful if you could issue necessary directions to the officials concerned for uploading of the above brochure in the State Government's website also for wide circulation among the State Government employees.

Regards

Your sincerely,

[signature]
25/6/13

Shri R. S. Viswakarma
Finance Secretary,
Government of Chhattisgarh,
Mantralaya, Mahanadi Bhavan,
New Raipur.

9/7/2013

जीरो प्वाईट, बलौदा बाजार रोड, पो. मांढर, रायपुर - 493 111 (छ.ग.), दूरभाष : +91-771 2285954, पी.बी.एक्स. : 2281451, फैक्स : +91-771 2282607.
ZERO POINT, BALODA BAZAR ROAD, P.O. MANDHAR, RAIPUR - 493 111 (C.G.), Tel. : +91-771 2285954, P.B.X. : 2281451, Fax : +91-771 2282607
E-mail : pillaiNS@cag.gov.in, sankupillai@yahoo.co.in

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) छत्तीसगढ़

रायपुर

❖ आगन्तुक सहायता पत्रक ❖

आदरणीय अभिदाता,

महालेखाकार कार्यालय में आपका स्वागत है सामान्य भविष्य निधि से संबंधित जानकारियों के लिये कृपया "**शिकायत निवारण कक्ष**" में सम्पर्क करें एवं वहां उपलब्ध "**आवेदन**" में चाही गयी जानकारी का विवरण अंकित कर, आपको जो जानकारी चाहिये उसका भी स्पष्ट विवरण देने का कष्ट करें जिससे यह कार्यालय आपकी यथासंभव सहायता कर सकेगा ।

महालेखाकार

(अ) अंतिम भुगतान प्रकरण की जानकारी के लिये :–

कृपया निम्न जानकारियॉं आवश्यक है–

(i) प्रकरण इस कार्यालय में प्रेषित किये जाने का डाकघर क्रमांक व दिनांक (जावक क सहित)

(ii) सही नाम, खाता क्रमांक मुख्यशीर्ष आहरण संवितरण अधिकारी का विवरण सेवानिवृत्ति दिनांक

(iii) प्रेषित प्रकरण के साथ संलग्नकों का विवरण

(iv) सेवाकाल में पदस्थापनाओं का दिनांक (अवधि) सहित विवरण

(v) इस कार्यालय से कोई पत्राचार किया गया हो तो उसका विवरण

(vi) यदि एक से अधिक खाता क्रमांक आबंटित हुये हो तो उसका विवरण भी दें ।

(vii) यदि कम भुगतान की आशंका हो या ऋणात्मक शेष हो तो इस कार्यालय द्वारा प्रेषित गणना पत्रक का मिलान अपने अभिलेख से करते हुये तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें ।

(viii) यदि कोई आहरण गलत दर्शाया गया हो तो उसकी पुष्टि के लिये विभागीय शेड्यूल की प्रमाणित प्रति एवं डी.डी.ओ. का सत्यापन ।

(ix) सत्यापित पास बुक प्रति ।

(x) अभिदाता के स्वर्गवासी होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, नोमिनेशन की सत्यापित प्रति,

(xi) दिनांक 5.6.1972 से सेवानिवृत्ति तक लिये गये आंशिक अंतिम विकर्षणों की सूची

(xii) अंतिम भुगतान प्रकरण सेवा निवृति के चार माह पूर्व ही कटौत्रा बंद कर, विभाग द्वारा प्रकरण महालेखाकार कार्यालय भेजा जाना चाहिये ताकि सेवानिवृत्ति तिथि तक अंतिम भुगतान पत्र जारी किया जा सके ।

(ब) खाता सुधार हेतु–

(i) पास बुक (सत्यापित) की छाया प्रति

(ii) गुम शुदा अवधि का विवरण

(iii) सही नाम/खाता क्रमांक/पद स्थापना विवरण

(iv) आहरण संवितरण अधिकारी का विवरण

(v) यदि डी.पी.एफ./सी.पी.एफ कटा हो तो उसका विवरण

(vi) एक से अधिक खाता क्रमांक आबंटित हुये हो तो उसका विवरण

(vii) इस कार्यालय द्वारा जारी लेखा पर्चीयों की प्रतियॉं यदि हो,

(viii) प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं डी.डी.ओ. का विवरण

(ix) डी.पी.एफ की राशि जी.पी.एफ. में समाहित किये जाने के संदर्भ में डी.पी.एफ खाता बन्द किये जाने व भविष्य में कोई आहरण न किये जाने सम्बधी प्रमाण पत्र,

(x) गुमशुदा कटौत्रों के समायोजन के संदर्भ में उक्त अवधि के कटौत्रा शेडयूल की प्रमाणित प्रति एवं कोषालय व्हाउचर क्रमांक का उल्लेख आवष्यक है ।

(xi) यदि गुमषुदा अवधि छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पूर्व की अवधि से संबंधित है एवं रिकार्ड म.प्र. से प्राप्त न हो पाये हो तो मंगाकर समायोजन करने में कुछ समय लगने की संभावना है ।

(स) लेखा पर्ची न प्राप्त होने के संबंध में :–

(i) सही नाम / खाता कमांक जितने भी हो,
(ii) आहरण संवितरण अधिकारी का विवरण, मुख्य शीर्ष
(iii) अंतिम प्राप्त लेखा पर्ची की छाया प्रति, यदि हो,
(iv)सेवा प्रारंभ से पदस्थापनाओं का विवरण,
(v) डी.डी.ओ. का प्रमाण पत्र कि लेखा पर्ची नहीं मिली,
(vi) लेखापर्ची कब से प्राप्त नहीं हो रही है,
(vii) सा.भ.नि. कटौत्रे कब से प्रारंभ हुये है,
(viii)लेखापर्चियॉं संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी के पते पर प्रेषित की जाती है एवं एक ही प्रति जारी होती है, अतः आहरण संवितरण अधिकारी का प्रमाण पत्र आवश्यक है कि उन्हे अभिदाता की लेखापर्ची प्राप्त नहीं हुयी है ।

(द) नवीन खाता कमांक आबंटन हेतु :–

(i)कर्मचारी विभाग से प्रमाणित करावे कि वह **01.11.2004** के पूर्व
शासकीय सेवा में है ।
(ii)क्या तीन प्रति में निर्धारित प्रपत्र खाता आबंटन हेतु विभाग से प्रेषित किया जा चुका है यदि हॉं, तो जावक क्र./दिनांक/प्रतिलिपि,
(iii)यदि पूर्व में विभागीय भविष्य निधि (डी.पी.एफ)या सी. पी.एफ. का अंशदाता रहे हो तो उसका विवरण,
(iv)डी.पी.एफ/सी.पी.एफ. के कटौत्रों की अवधि एवं अद्यतन ब्याज सहित मासिक/वार्षिक विवरण

(ध) खाता छत्तीसगढ से म.प्र. या म.प्र. से छ.ग. स्थानांतरण

(i) नाम/पदनाम/विभाग जहां कार्यरत थे ।
(ii) खाता कमांक एवं कार्यकाल व पदस्थापना की अ[illegible]ा एवं मुख्यशीर्ष
(iii) कब से कब तक की अवधि का स्थानांतरण प्रस्तावित किया गया ।
(iv) डी.डी.ओ के माध्यम से किये गये पत्राचार की प्रति
(v) आहरण संवितरण अधिकारियों का विवरण व विभाग का नाम, दोनों राज्यों में पदस्थापना अवधि ।

(न)डी.पी.एफ से जी.पी.एफ. स्थानान्तरण संबंधी

(i) अभिदाता का नाम व पद
(ii) विभागीय भविष्य निधि में कटौत्री की अवधि/पदोन्नति दिनांक
(iii)स्थानान्तरित की जाने वाली राशि का ब्याज सहित गणना पत्रक की प्रति महालेखाकार कार्यालय में प्रेषित करने का जा.क दिनांक
(iv)सा.भ.नि. कटौत्रे प्रारंभ होने की तिथि
(i) वि.भ.नि. खाता बंद होने एवं भविष्य में आहरण न किये जाने का प्रमाण पत्र

आपके पधारने एवं सहयोग देने के लिये

धन्यवाद

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) छत्तीसगढ़ रायपुर

महोदय,

महालेखाकार कार्यालय में आने वाले अभिदाताओं की शिकायतों/समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न आवेदनपत्र जिसमें प्रदर्शित कालमों की सही प्रविष्टि कर प्रस्तुत करने पर समस्याओं/शिकायतों को समझने एवं सुलझाने में कार्यालय को सुविधा होगी और अभिदाता को भी संतुष्टि प्रदान की जा सकेगी अतः निम्न आवेदन में सभी जानकारी एवं प्रविष्टियाँ सही–सही देने का कष्ट करें ।

धन्यवाद सहित

महालेखाकार

❖ आवेदन प्रपत्र ❖

1 अभिदाता का नाम/पता..

2 सा.भ.नि. खाता क्रमांक..

3 विभाग का नाम (वर्तमान)..

4 पूर्व पदस्थापनाओं का विवरण..

5 आहरण संवितरण अधिकारी का विवरण..

मुख्यशीर्ष एवं कोषालय का नाम..

6 पूर्व में किये पत्राचार का विवरण..

शिकायत/समस्या का विवरण..
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

आवेदक के हस्ताक्षर....................................

मोबाईल क्र....................................

❖ पावती ❖

रजि.क्र....................................

दिनांक:

श्री ....खाता क्रमांक....................................द्वारा उनकी समस्या/शिकायत पत्र प्राप्त किया गया उत्तर एक सप्ताह में दिये गये पते पर या शिकायत निवारण कक्ष से पावती प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा ।

प्रभारी/शिकायत

निवारण कक्ष